

पुलिस आदेश 192/86

पुलिस आदेश नं० 99 के संबंध में कुछ पदाधिकारियों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि उक्त आदेश केवल पुर्वर कोर्ट के पदों पर नियुक्ति के मामलों में लागू होगा या सभी प्रकार की प्रोन्नतियों में। इस संदर्भ में यह दृष्ट-गट करना है कि उक्त आदेश सभी प्रकार की प्रोन्नतियों पर समस्त लागू होगा।

12-1-86पी। [कंड]

ह०/- डी. प्रमोद त्वाय,
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरोधक, बिहार।

आपांक _____ पी।

19-5-1-86

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरोधक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 2 जनवरी, 1987।

प्रतिनिधि:- सभी आरक्षी महानिरोधक/आरक्षी उ०म०नि०, रेलवे सहित/आरक्षी अधीक्षक-
रेलवे सहित/तमादेबटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

2- महानिरोधक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/समास्त्र बल/रेलवे/
निगरानी/अभियोजन/प्रशिक्षण एवं निरोधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

3- आरक्षी मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ।

4- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय को सूचनार्थ।

5- पी०२ प्रशाखा, मुख्यालय को पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ।

आरक्षी महानिरोधक के सह. वकिल [कामिक], बिहार, पटना।

बुज०/7/1/87/